न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी प्र0क्र0 ------/15

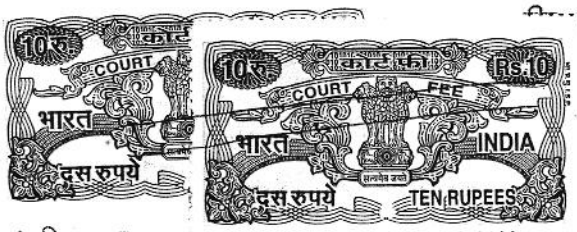

Rs. 201—

R5201-II/15

1हीरालाल उम्र63 वर्ष तनय परमेश्वरदीन ब्रा0

2– आनन्द कुमार उम्र 59 वर्ष तनय परमेश्वरदीन ब्रा0।निवासी गण ग्राम बीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

1– मु0 महरनिया उर्फ महरानी पत्नीस्वं परमेश्वरदीन ब्रा9 उम्र85 वर्ष पेशी कृषि तथा गृह कार्य ।

2– लालमणि पिता स्वं परमेश्वरदीन ब्रा0 उम्र 66 वर्ष पेशा खेती व पेंशनर दोनों निवासी ग्राम बीरदत्ततहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

3– ललिता पुत्री स्व0 परमेश्वरदीन ब्रा0 पत्नी बालगोविन्द मिश्रा उम्र 54 वर्ष पेशा गहकार्य निवासी ग्राम लोढौती तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0।

4– प्रेमवती पुत्री स्वं श्री परमेश्वरदीन ब्रा0 पत्नी देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी उम्र 52 वर्ष पेशा घरू कार्य निवासी ग्राम मझिआर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

5– बेदवाई पुत्री स्व0 श्री परमेश्वरदीन ब्रा0 पत्नी अनिल त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष पेशा घरू कार्य निवासी रामपुर बघेलान तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0 ---गैरनिगरानिकर्तागण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड के द्वारा आज दिनांक 1-12-15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अर्न्तगतधारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0 1959 विरूद्व आदेश तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 जो प्रकरण क्रमांक 9/अ-27-15-16 में दिनांक 23-11-15 को पारित ।

---------- ----------

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1– अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण के ग्राहयता एवं प्रचलननीयता के बिन्दु पर जो आपत्ति की थी उसे गुण दोष पर निर्णीत किये बिना एवं निगरानीकर्ता की सुनवाई के बिना जिस प्रकार संक्षिप्ततः आपत्ति निरस्त की गई है विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2– मूल पुरूष परमेश्वरदीन मिश्रा के पुत्र निगरानीकर्ता एवं अनावेदक क्रमांक 1 है। परमेश्वरदीन की पत्नी मु0 महरनिया है तथा पुत्रियां अनावेदक 3 1 5

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.S.201-II/15 .... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	हीरालाल कार्यवाही तथा आदेश मद्धनियाँ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23-11-15 के विरुद्ध दायर की गई है। निगरानी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार के न्यायालय में धारा 178 के मामले में जो आपत्ति के बिन्दु उठाये गये थे, उन पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। मैंने प्रकरण संलग्न तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23-11-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिसमें मात्र इतना उल्लेख है कि "आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण प्रचलन शील है।" इस प्रकार तहसीलदार का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। उपरोक्त कारण से तहसीलदार का आदेश दिनांक 23.11.15 को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकर्ता द्वारा दी गई आपत्ति एवं उल्लेखित बिन्दुओं तथा उस पर प्राप्त जवाब पर विचार करते	

[कृ. प. उ.

ग्राम पारदत्ता तहसील अमरपाटन जिला सतना

हीरालाल बा० / बुल० महाविद्या उर्फ महारानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ हुए. पुनः नये सिरे से बोलता हुआ आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी जाय। प्रकरण पंजी से कम होकर दा० द० किया जाय। 18.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.